मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
:मंत्रालयः वल्लभ भवन, भोपाल

कमांक : 1677/2435/19/यो/12 भोपाल, दिनांक 13-3-12

प्रति,

1. प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, भोपाल.

2. समस्त मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग, (म.प्र.)
सेतु परि० भोपाल

3. समस्त अधीक्षण यंत्री
लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश

4. समस्त कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग, (म.प्र.)

विषयः—लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण परिक्षेत्र के कार्यक्षेत्र में दिये जाने वाले कार्य।

वृहद पुलों के निर्माण डाक्यूमेंटेशन, रख—रखाव का दायित्व सेतु परिक्षेत्र को सौंपे जाने हेतु जारी शासन के आदेश कमांक एफ—24/9/92/जी/19 दिनांक 29.8.1992 एवं कमांक 4806/ 5369/19/यो/19 दिनांक 31.5.1994 को अधिकृमित करते हुए राज्य शासन एतद द्वारा निम्नलिखित कार्यों का दायित्व सेतु परिक्षेत्र एवं अधीनस्थ अमले को सौंपा जाता है :—

(1) आर.ओ.बी. एवं आर.यू.बी. तथा सभी 30 मीटर से अधिक वाटर वे वाले पुल अथवा 15 वर्ग कि.मी. या उससे अधिक जलग्रहण क्षेत्र वाले नालों/नदियों पर पुल निर्माण

(2) समस्त आर.ओ.बी. एवं कुल स्पान 60 मीटर या अधिक अथवा कोई एक स्पान 20 मीटर या अधिक वाले वृहद पुल, एप्रोच स्लैब एवं प्रोटेक्शन कार्य समेत, का संधारण ।

(3) मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र दिनांक 27.5.1995 में प्रकाशित लोक निर्माण विभाग के दिनांक 4.5.1994 की अधिसूचना, यथा संशोधित, के पालन में समस्त पुलों पर टोल टैक्स वसूली का कार्य ।

उपरोक्त निर्णय के पालन हेतु राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित दिशा—निर्देश भी जारी करता है :—

(i) सेतु परिक्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित होने वाले पुल/आर.ओ.बी. में से उपरोक्त को छोड़कर शेष पुलों को संधारण के लिए भवन/सड़क संभागों को सौंपा जाता है ।

(ii) भवन एवं सड़क संभागों द्वारा वर्तमान में संधारित किये जा रहे उपरोक्त वर्णित पुल/आर.ओ.बी. संधारण हेतु वापस सेतु परिक्षेत्र को सौंपा जाता है ।

(iii) वृहद पुलों का डाक्यूमेंटेशन एवं निरीक्षण कार्य आई.आर.सी. "एस.पी.18 –पुलों के संधारण एवं निरीक्षण" के ब्रिज रजिस्टर, ओरिजनल ब्रिज रिपोर्ट एवं निरीक्षण रिपोर्ट के प्रपत्रों एवं निर्देशों का उपयोग करते हुए कार्यविभाग नियमावली 1983 भाग–1 के चेप्टर II सेक्शन 13 कंडिका (पैरा) 2.064 से 2.074 से जारी पुल–पुलियों के संधारण से संबंधित जारी समस्त निर्देशों का वृहद पुलों के लिए भी पालन किया जावेगा ।

(iv) पुराने पुलों के चल रहे टोल टैक्स वसूली के कार्य भी भवन एवं सड़क संभागों से सेतु संभागों को सौंपा जाता है ।

उपरोक्त निर्णय म.प्र. सड़क विकास निगम की सड़कों पर स्थित आर.ओ.बी./पुलों पर लागू नहीं होगा ।

उक्त आदेश दिनांक 1.4.2012 से प्रभावशील होंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

13-3-12

(विजय सिंह वर्मा)
सचिव,
म.प्र.शासन, लोक निर्माण विभाग

पृ0 कमांक : 1676/2435/19/यो/12 भोपाल, दिनांक 13-3-12

प्रतिलिपिः– 1. निज सचिव, मा0 मंत्रीजी, लोक निर्माण विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल
2. प्रबन्ध संचालक, म.प्र. सड़क विकास निगम, अरेरा हिल्स, भोपाल
3. अवर सचिव (स्था/सा), लोक निर्माण विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल.
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

13-3-12

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग

ई.ऍ. / [illegible] /2012

प्रतिलिपी:
(1) [illegible] की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।